सं. 6724 /नेडा–एसई–सौर ऊर्जा नीति–2022
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनॉक : 03/3/, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0 1335/87–755–अति0ऊ0स्रो0 वि0/2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022" का प्राख्यापन किया गया है।

2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0 1465/87–2022–755– अति0 ऊ0स्रो0वि0/2022 दिनांक 08.12.2022 से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

3. उक्त दिशा–निर्देश के बिन्दु 1 में सौर ऊर्जा नीति–2022 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार निम्नलिखित उल्लेख है:–

" इस नीति के कियान्वयन के लिये उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेंसी होगी। सौर ऊर्जा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के कियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ताओं की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। समस्त प्रकार की सौर परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सिंगल विडों के रूप में यूपीनेडा नोडल एजेन्सी कार्य करेगी। सौर परियोजनाओं का पंजीकरण डेवलपर्स/फर्म द्वारा समय–समय पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क प्राप्त कर किया जायेगा तथा यूपीनेडा द्वारा विकासकर्ता/फर्मो को लाईन विभागों जैसे डिस्कॉम, ट्रांसमिशन, राजस्व विभाग, स्टाम्प, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सिंचाई विभाग,उत्पादन कम्पनियों, अग्नि सुरक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय करने में सुविधा प्रदान करने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा "

4. उक्त के क्रम में अभिकरण द्वारा सौर परियोजनाओं के पंजीकरण एवं Facilitate करने हेतु सिंगल विडों पोर्टल (http://solar.upneda.in) विकसित किया गया है।

5. सौर ऊर्जा नीति–2022 में उल्लेखित व्यवस्थानुसार रू. 20,000/– पंजीकरण शुल्क प्रति आवेदन/प्रोजेक्ट निर्धारित किया जाता है। सौर परियोजना डेवलपर्स/निवेशक द्वारा पोर्टल पर रू. 20,000/– के बैंक ड्राफ्ट की प्रति अपलोड की जायेगी तथा मूल बैंक ड्राफ्ट की प्रति (सौर ऊर्जा नीति खण्ड) में जमा किया जायेगा।

6. पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में यूपीनेडा द्वारा उक्त सौर परियोजना डेवलपर्स/निवेशक की एप्लीकेशन Facilitation के लिये संबंधित विभागो को अग्रसारित की जायेगी।

(अनुपम शुक्ला)
आई0ए0एस0
निदेशक,यूपीनेडा।

.....2/–

सं. 6724 /नेडा–एसई–सौर ऊर्जा नीति–2022 दिनांक.03/.03/.2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीनेडा।
3. वरि0 परियोजना अधिकारी–2 (सौर ऊर्जा नीति–2022), यूपीनेडा।
4. समस्त जनपदीय वरि0परि0अधि0 / परि0अधि0 / परियोजना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/

(अनुपम शुक्ला)
आई0ए0एस0
निदेशक, यूपीनेडा।